भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1593
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में रिक्त पद और मामले

1593. श्री गिरीश चन्द्र :

श्री मनोज तिवारी :

श्री राहुल कस्वां :

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर :

डॉ. संघमित्रा मौर्य :

श्री अरविंद सावंत :

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा :

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :

डॉ. निशिकांत दुबे :

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

श्री विनायक भाऊराव राऊत :

श्री संजय जाधव :

श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में न्यायाधीशों के पदों के रिक्त होने के कारण न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों में न्यायाधीशों की स्वीकृत, वास्तविक संख्या और रिक्त पदों का न्यायालय/अधिकरण-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है:

(ग) इन सभी न्यायालयों में रिक्त पदों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या इनमें अनेक मामले 10 और 15 वर्षों या उससे अधिक समय से लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या उच्चतर न्यायपालिका में आरक्षण का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) क्या सरकार का न्यायालय के निर्णयों/पत्राचार को ऑनलाइन करने का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं ।

न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में लंबित मामलों का विस्तृत न्यायालय-वार विवरण क्रमशः **उपाबंध 1, उपाबंध 2** और **उपाबंध 3** पर दिया गया है ।

(ख) : न्यायाधिकरणों में स्वीकृत, कार्यशील संख्या और रिक्ति के बारे में जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत, वास्तविक/कार्यशील संख्या और रिक्ति स्थिति को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध** -4 और **उपाबंध** 5 में है ।

(ग) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। अत:, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने का समय नहीं बताया जा सकता है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में संविधान के अधीन केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। इस प्रकार, अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं ।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 21.03.2023 तक 30 से 50, 30 से 40, 40 से 50 और 50 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले क्रमशः 22, 20, 2, 0 हैं।

उच्चतम न्यायालय में 10 और 15 वर्ष से कोई मामला लंबित नहीं है. उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के मामले में, 24 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 और 15 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

24.07.2023* को लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है					
क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**10 वर्ष से लंबित मामले**	**15 वर्ष से लंबित मामले**	**15 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले**	
				20 से 30 वर्ष से लंबित मामले	**30 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले**
1	उच्च न्यायालय	1,83,146	1,11,847	2,17,010	71,204
2	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	8,73,587	3,09,792	5,20,588	1,01,837

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के क्षेत्र में है। न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। तथापि, सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए।

(च): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई- न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य न्यायालयों को आईसीटी सक्षम बनाकर देश की न्यायिक प्रणाली को बदलना और न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना है, जिससे न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। परियोजना के दूसरे चरण के अधीन जिसे 2015 से 2023 तक कार्यान्वित किया गया। 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। सभी हितधारक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चय से संबंधित जानकारी तक पहुंच सकते हैं। 03.07.2023 तक, वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई- न्यायालय सेवाएँ जैसे मामला रजिस्ट्रीकरण, वाद सूची, मामला की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय का विवरण वादियों और अधिवक्ताओं के लिए ई-कोर्ट वेब पोर्टल https://ecourts.gov.in/ecourts_home/के साथ-साथ ई-न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं।

उच्च न्यायालय के निर्णयों को ' निर्णय और आदेश खोज' पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। निर्णय खोज' खंड तक https://judgments.ecourts.gov.in पर पहुंचा जा सकता है, जिसमें बेंच द्वारा खोज, मामला का प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज

जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक निःशुल्क टेक्स्ट सर्च इंजन का उपयोग करना है, जो किसी दिए गए कीवर्ड या कीवर्ड के संयोजन के आधार पर निर्णय ढूंढता है।

****

उपाबंध- 1

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

01.07.2023 को उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले	69,766

स्रोत :- उच्चत्तम न्यायालय वेबसाइट

उपाबंध- 2

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालय में 26.07.2023* को लंबित मामलों की संख्या		
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय का नाम**	**लंबित मामलों की कुल संख्या**
1	इलाहाबाद	1039879
2	बंबई	700214
3	राजस्थान	652093
4	मद्रास	551953
5	मध्य प्रदेश	445498
6	पंजाब और हरियाणा	442805
7	कर्नाटक	278405
8	आंध्र प्रदेश	247095
9	तेलंगाना	252901
10	पटना	203291
11	कलकत्ता	203637
12	केरल	189728
13	गुजरात	165487
14	ओडिशा	145908
15	दिल्ली	110951
16	हिमाचल प्रदेश	95184
17	छत्तीसगढ	91332
18	झारखंड	85840
19	गुवाहाटी	60635
20	उत्तराखंड	48000
21	जम्मू - कश्मीर	45150
22	मणिपुर	5034
23	त्रिपुरा	1174
24	मेघालय	1148
25	सिक्किम	157
	कुल	**6063499**

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध- 3

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 24.07.2023* को लंबित मामलों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य	लंबित मामलों की कुल संख्या
1	उत्तर प्रदेश	11635286
2	महाराष्ट्र	5121209
3	बिहार	3508123
4	पश्चिमी बंगाल	2908921
5	राजस्थान	2273368
6	मध्य प्रदेश	2012302
7	कर्नाटक	1926412
8	केरल	1885878
9	गुजरात	1697326
10	हरियाणा	1532073
11	ओडिशा	1531155
12	तमिलनाडु	1474434
13	दिल्ली	1229741
14	पंजाब	914800
15	तेलंगाना	909793
16	आंध्र प्रदेश	852215
17	हिमाचल प्रदेश	543461
18	झारखंड	526160
19	असम	467874
20	छत्तीसगढ	410118
21	उत्तराखंड	336583
22	जम्मू और कश्मीर	317884
23	चंडीगढ़	82417
24	गोवा	56545
25	त्रिपुरा	45856
26	पुदुचेरी	34084
27	मेघालय	15930
28	मणिपुर	12641
29	अंदमान और निकोबार	8786
30	मिजोरम	5851
31	सिलवासा में डीएनएच	4075
32	नागालैंड	3316
33	दीव और दमण	3091
34	सिक्किम	1816
35	अरुणाचल प्रदेश	1387
36	लद्दाख	1225
	कुल	4,42,92,136

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनडीजी).

उपाबंध- 4

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

24.07.2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			32			02		
आ.	उच्च न्यायालयों	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	74	21	95	45	20	65
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	5	27	6	4	10
3	बंबई	71	23	94	40	26	66	31	-3	28
4	कलकत्ता	54	18	72	33	19	52	21	-1	20
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	5	15	7	0	7
6	दिल्ली	46	14	60	41	3	44	5	11	16
7	गुवाहाटी	22	8	30	15	9	24	7	-1	6
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	12	4	16	1	0	1
11	झारखंड	20	5	25	19	1	20	1	4	5
12	कर्नाटक	47	15	62	37	13	50	10	2	12
13	केरल	35	12	47	28	6	34	7	6	13
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	34	0	34	5	14	19
15	मद्रास	56	19	75	47	16	63	9	3	12
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	33	0	33	7	13	20
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	22	60	26	-1	25
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	25	2	27	7	8	15
24	त्रिपुरा	4	1	5	3	0	3	1	1	2
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	0	8	1	2	3
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**621**	**152**	**773**	**219**	**122**	**341**

17.01.2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**32**			**2**		
आ.	**उच्च न्यायालयों**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	120	40	160	74	19	93	46	21	67
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	20	0	20	8	9	17
3	बंबई	71	23	94	52	08	60	19	15	34
4	कलकत्ता	54	18	72	30	09	39	24	09	33
5	छत्तीसगढ	17	05	22	10	03	13	07	02	09
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	06	24	17	06	23	01	0	01
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	07	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	08	01	09	02	02	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	13	0	13	0	04	04
11	झारखंड	19	06	25	19	01	20	0	05	05
12	कर्नाटक	47	15	62	39	06	45	08	09	17
13	केरल	35	12	47	27	12	39	08	0	08
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	29	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	45	15	60	11	04	15
16	मणिपुर	04	01	05	03	01	04	01	0	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	ओडिशा	20	07	27	18	0	18	02	07	09
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	43	06	49	21	15	36
21	राजस्थान	38	12	50	28	0	28	10	12	22
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	04	01	05	05	0	05	-01	1	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	07	0	07	02	02	04
	कुल	**829**	**269**	**1098**	**600**	**87**	**687**	**229**	**182**	**411**

01.01.2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			30			4		
आ.	उच्च न्यायालयों	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	82	14	96	38	26	64
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	18	0	18	10	09	19
3	बंबई	71	23	94	49	15	64	22	08	30
4	कलकत्ता	54	18	72	32	02	34	22	16	38
5	छत्तीसगढ	17	05	22	13	01	14	04	04	08
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	06	24	17	03	20	01	03	04
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	0	09	01	03	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	11	0	11	02	04	06
11	झारखंड	19	06	25	17	0	17	02	06	08
12	कर्नाटक	47	15	62	26	20	46	21	-05	16
13	केरल	35	12	47	30	07	37	05	05	10
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	29	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	52	10	62	04	09	13
16	मणिपुर	04	01	05	04	01	05	0	0	0
17	मेघालय	03	01	04	04	0	04	-01	01	0
18	ओडिशा	20	07	27	15	0	15	05	07	12
19	पटना	40	13	53	22	0	22	18	13	31
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	42	11	53	22	10	32
21	राजस्थान	38	12	50	23	0	23	15	12	27
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	18	06	24	14	0	14	04	06	10
24	त्रिपुरा	04	0	04	04	0	04	0	0	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	08	01	09	01	01	02
	कुल	**815**	**264**	**1079**	**583**	**85**	**668**	**232**	**179**	**411**

01.01.2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**33**			**1**		
आ.	**उच्च न्यायालयों**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	76	84	160	67	40	107	09	44	53
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	15	0	15	13	09	22
3	बंबई	71	23	94	55	15	70	16	08	24
4	कलकत्ता	54	18	72	22	18	40	32	0	32
5	छत्तीसगढ	17	05	22	11	04	15	06	01	07
6	दिल्ली	45	15	60	36	0	36	09	15	24
7	गुवाहाटी	18	06	24	15	06	21	03	0	03
8	गुजरात	39	13	52	27	0	27	12	13	25
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	01	10	01	02	03
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	08	0	08	05	04	09
11	झारखंड	19	06	25	17	02	19	02	04	06
12	कर्नाटक	47	15	62	19	21	40	28	-06	22
13	केरल	35	12	47	27	05	32	08	07	15
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	31	0	31	09	13	22
15	मद्रास	56	19	75	46	09	55	10	10	20
16	मणिपुर	04	01	05	04	0	04	0	01	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	ओडिशा	20	07	27	14	0	14	06	07	13
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	17	55	26	04	30
21	राजस्थान	38	12	50	21	0	21	17	12	29
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	18	06	24	12	01	13	06	05	11
24	त्रिपुरा	04	0	04	03	0	03	01	0	01
25	उत्तराखंड	09	02	11	09	01	10	0	01	01
	कुल	**771**	**308**	**1079**	**538**	**140**	**678**	**233**	**168**	**401**

उपाबंध- 5

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों* के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (स्वी.सं.), कार्य संख्या (का. सं.) और रिक्ति (रि.) स्थिति

	31.12.2020 के अनुसार			31.12.2021 के अनुसार			12.2022 के अनुसार			25.07.2023 के अनुसार		
राज्य का नाम	**स्वी.सं.**	**का. सं.**	**रि.**	**स्वी.सं.**	**का. सं.**	**रि.**	**स्वी.सं.**	**का. सं.**	**रि.**	**स्वी.सं.**	**का सं.**	**रि.**
अंदमान और निकोबार	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13
आंध्र प्रदेश	607	510	97	607	492	115	607	534	73	618	544	74
अरुणाचल प्रदेश	41	32	9	41	32	9	41	33	8	42	33	9
असम	466	412	54	467	436	31	485	425	60	485	443	42
बिहार	1936	1433	503	1954	1394	560	2016	1349	667	2016	1554	462
चंडीगढ़	30	26	4	30	30	0	30	30	0	30	29	1
छत्तीसगढ	480	387	93	482	409	73	527	437	90	556	431	125
डी एंड एन हवेली	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1
दमण और दीव	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
दिल्ली	799	649	150	862	689	173	884	681	203	887	706	181
गोवा	50	40	10	50	40	10	50	40	10	50	40	10
गुजरात	1521	1152	369	1523	1123	400	1582	1151	431	1582	1186	396
हरियाणा	772	493	279	772	482	290	772	464	308	772	576	196
हिमाचल प्रदेश	175	161	14	175	160	15	179	163	16	179	160	19
जम्मू-कश्मीर	296	255	41	300	241	59	314	223	91	314	227	87
झारखंड	675	544	131	675	523	152	694	508	186	694	503	191
कर्नाटक	1357	1071	286	1363	1077	286	1365	1132	233	1367	1125	242
केरल	538	470	68	569	488	81	595	473	122	603	523	80
लद्दाख	16	8	8	17	9	8	17	9	8	17	9	8
लक्षद्वीप	3	3	0	3	3	0	4	4	0	4	3	1
मध्य प्रदेश	2021	1610	411	2021	1552	469	2021	1649	372	2028	1607	421
महाराष्ट्र	2190	1940	250	2190	1940	250	2190	1940	250	2190	1940	250
मणिपुर	54	36	18	59	42	17	59	42	17	59	42	17
मेघालय	97	49	48	97	49	48	99	57	42	99	57	42
मिजोरम	64	43	21	65	42	23	74	41	33	74	41	33
नागालैंड	33	26	7	34	24	10	34	24	10	34	24	10
ओडिशा	950	756	194	976	785	191	1001	767	234	1003	808	195
पुदुचेरी	26	11	15	26	11	15	28	11	17	29	11	18
पंजाब	692	593	99	692	607	85	797	589	208	797	587	210
राजस्थान	1489	1292	197	1548	1274	274	1587	1256	331	1616	1358	258
सिक्किम	25	20	5	28	20	8	30	21	9	35	23	12
तमिलनाडु	1298	1049	249	1316	1082	234	1340	1068	272	1364	1046	318
तेलंगाना	474	378	96	474	425	49	560	410	150	560	415	145
त्रिपुरा	120	97	23	122	97	25	128	108	20	128	109	19
उत्तर प्रदेश	3634	2581	1053	3634	2542	1092	3647	2474	1173	3694	2484	1210
उत्तराखंड	297	255	42	299	271	28	299	269	30	299	277	22
पश्चिमी बंगाल	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96
कुल	**24247**	**19319**	**4928**	**24492**	**19328**	**5164**	**25077**	**19319**	**5758**	**25246**	**19858**	**5388**

*स्रोत: एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग

****